विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-38/14

मेसर्स ज्ञानगंगा अकादमी — आवेदक
द्वारा मैनेजर
मिसरोद रोड, ग्राम रतनपुर, जिला–भोपाल (म.प्र.)

विरूद्ध

असिस्टेंट मैनेजर (विजलेंस) — अनावेदकगण
आफिस ऑफ जीडीएम विजलेंस,
ओ एण्ड एम सर्किल
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल।

आदेश
(दिनांक 23.11.2015 को पारित)

01 आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में अनावेदक द्वारा दिये गये विद्युत बिल को निरस्त करने बाबत प्रस्तुत किया। विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा उनका आवेदन पत्र इस आधार पर निरस्त कर दिया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के प्रकरण को सुनने का अधिकार फोरम को नहीं है।

02 आवेदक द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर एक आवेदन विद्युत लोकपाल को प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनके परिसर का निरीक्षण दिनांक 22.4.2014 को किया गया था। उक्त निरीक्षण के आधार पर उनके विरूद्ध जो कार्यवाही की गई उसे भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 127 के तहत चुनौती दी गई। परन्तु फोरम में उनके द्वारा जो आवेदन पत्र दिया था उसके आधार पर दिनांक 22.5.2014 के बाद अनावेदक द्वारा जारी किये गये विद्युत देयकों की वैद्यता को चुनौती दी गई थी जिसको कि सुनने का अधिकार फोरम व विद्युत लोकपाल को है।

03 आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का अवलोकन किया गया तथा पाया गया कि प्रकरण में दिनांक 22.5.2014 के पश्चात दिये गये विद्युत देयकों की विवादित राशि के संबंध में सुनवाई की जा सकती है। अतः प्रकरण सुनवाई हेतु ग्रहण किया गया।

04 आवेदक द्वारा मुख्यतः माह अप्रैल, 2013 से नवंबर 2014 के बिलों तथा आगामी समस्त बिलों को जो कि ग्रामीण क्षेत्र में है जिसे कि अनावेदक द्वारा शहरी क्षेत्र मानकर फिक्स चार्जेस की वसूली की जा रही है, उसे संशोधित कर वसूल की गई राशि को अगले माह में समायोजन करने का अनुरोध किया है।

05 दिनांक 17.8.2015 को प्रकरण में सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा आवेदक के विरूद्ध की गई बिलिंग की पुनः समीक्षा किये जाने हेतु समय चाहा था। अतः उन्हें आवश्यक कार्यवाही कर अगली सुनवाई में इस संबंध में अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

06 दिनांक 23.11.2015 को उभय पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित हुए । अनावेदक द्वारा बताया गया कि आवेदक के विरूद्ध की गई बिलिंग की समीक्षा करने पर पाया गया कि आवेदक के विरूद्ध पूर्व में रूपये 1,10,161/– की राशि जो वसूल की गई वह गलत थी, जिसका समायोजन तथा फिक्स चार्जेस एवं टैरिफ के अंतर की राशि रूपये 33,403/– का समायोजन दिसंबर, 2015 के विद्युत देयक में कर दी जाएगी।

07 आवेदक के अधिवक्ता द्वारा इस पर अपनी सहमति दी गई। अतः प्रकरण को दोनों पक्षों की सहमति से समाप्त किया गया।

08 आदेश की प्रति फोरम को दी जाए । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदकगण की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल